क्या रोजगारदाता को बचाव उपकरण प्रदान करने होंगे? (Do employers have to provide personal protective equipment (PPE)?

पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेन्ट एट वर्क रेग्यूलेशन्स 1992 में संगत दिए गए हैं.

रेग्यूलेशन 4 में बताया गया है :
प्रत्येक रोजगारदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि काम के दौरान सेहत या सुरखा के लिए जोखिम की हालात में कर्मचारियों को उपयुक्त बचाव उपकरण प्रदान किए गए हैं, या फिर इसी प्रकार के जोखिम को पर्याप्त रूप से नियंत्रित किया गया है.

इसके साथ ही गाइडेन्स में बताया गया है:
रोजगारदाताओं को चाहिए कि यदि अन्य उपायों से सेहत और सुरक्षा के जोखिम को काबू में नहीं रखा जा सकता हे तो अपने कर्मचारियों को समुचित बचाव के उपकरण प्रदान करें और इनके उपयोग का प्रशिक्षण भी दें.

कर्मचारियों को पी पी ई प्रदान करने के प्रयोजन से भवन में सिर्फ उपकरण होना ही बस नहीं है, बल्कि रोजगारदाताओं को इससे भी आगे करना होगा. कर्मचारियों के लिए सभी उपकरण फौरन उपलब्ध होने चाहिए, या फिर कम से कम उन्हें यह तो पता होना ही चाहिए कि वे इन उपकरणों को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं.

हैल्थ एन्ड सेफ्टी एट वर्क एटसेटरा एक्ट 1974, की धारा 9 के अनुसार केवल कार्यस्थल पर प्रयुक्त पी पी ई के प्रावधान कामगार पर लागू नहीं हो सकते. हैल्थ एन्ड सेफ्टी एट वर्क एटसेटरा एक्ट 1974, की धारा 9 में बताया गया है कि " संगत सांविधिक प्रावधानों की खास अपेक्षाओं के अनुसरण में किए जाने वाले किसी भी कार्य या प्रदान की जाने वाली किसी सुविधा के सम्बन्ध में कोई भी रोजगारदाता अपने कर्मचारी पर कोई भार नहीं डालेगा या भार डालने की अनुमति भी नहीं देगा. " इन रेग्यूलेशन्स पर धारा 9 लागू होती है, किन्तु इनके लिए 'खास अपेक्षा' निर्धारित की गई है - अर्थात पी पी ई प्रदान करना.

संगत प्रकाशन :

Personal protective equipment at work: guidance on regulations, L25, (ISBN 0717604152 - एच एस ई बुक्स से प्राप्त किया जा सकता है)

- **A short guide to the Personal Protective Equipment at Work Regulations - मुफ्त पत्रक**